

**National Scholarship Year 2023-24**  
**Minority, Central Sector, BidiWorkers, LSDM, IOMC,**  
**Cine Workers, Disabilities.**

दिनांक:- 14 / 10 / 2023

**सत्र 2023-24 की छात्रवृत्ति ऑनलाइन आवेदन हेतु**

अल्प संख्यक, केंद्रीय क्षेत्र, बिड़ी कामगार, एल.एस.डी.एम., आई.ओ.एम.सी., सिने कामगार छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन वेबसाइट <http://scholarships.gov.in/> में रजिस्ट्रेशन कर आवेदन करें। **COLLEGE AISHE Code (Dice code) - C-33354**

**नोट:- शासन द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी छात्रवृत्तियों में से पात्रता रखने वाले विद्यार्थी किसी भी एक छात्रवृत्ति का लाभ ले सकते हैं।**

**विद्यार्थी निम्नलिखित दस्तावेजों को क्रमानुसार लगाकर जमा करें :-**

1. विद्यार्थी के द्वारा ऑनलाइन भरे हुए फॉर्म की हार्ड कॉपी। (अनिवार्य)
2. विद्यार्थी की पासपोर्ट फोटो (अनिवार्य)
3. विद्यार्थी इंस्टीट्यूट सत्यापन (बोनाफाइड अनिवार्य)
4. विद्यार्थी द्वारा समुदाय (माइनोरिटी) की स्व-घोषणा पत्र (अनिवार्य)
5. स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र (अनिवार्य)
6. विद्यार्थी ओबीसी, एससी या एसटी से है तो जाति प्रमाण पत्र तहसीलदार द्वारा प्रमाणित (अनिवार्य)
7. पिता का आय प्रमाण पत्र तहसीलदार द्वारा प्रमाणित (अनिवार्य)
8. विद्यार्थी 10वीं से लेकर वर्तमान वर्ष की मार्कशीट स्व-प्रमाणित कर संलग्न करें। (अनिवार्य)
9. विद्यार्थी के आधार कार्ड की छायाप्रति (अनिवार्य)
10. समग्र आईडी की छायाप्रति (स-परिवार अनिवार्य)
11. विद्यार्थी के नाम की बैंक खाते छायाप्रति (अनिवार्य)
12. वर्तमान वर्ष की प्रवेश शुल्क की पावती (अनिवार्य)
13. विद्यार्थी आई-डी कार्ड की छायाप्रति (अनिवार्य)
14. आधार वेब साइट से बैंक लिंकिंग स्टेटस की छायाप्रति (अनिवार्य)

**लिंकिंग स्टेटस - <https://resident.uidai.gov.in/bank-mapper>**

- Bidi Workers, LSDM, IOMC, Cine Workers कार्यकर्ता के पहचान पत्र की प्रतिलिपि (Photo Copy of Identity Card) (खदान के मामले में फॉर्म बी पंजीकरण संख्या कर्मी)। आय सीमा 8000/- प्रति महीना।
- माइनोरिटी स्कीम के अंतर्गत छात्र छात्राओं के पिछले शिक्षण वर्ष में 50% या अधिक। सभी स्रोतों के माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय 2 लाख रुपये तक हो।
- सेंट्रल सेक्टर स्कीम के अंतर्गत छात्र जो 10+2 पैटर्न या समकक्ष की कक्षा 12वीं परीक्षा बोर्ड में सफल उम्मीदवारों के 80% से अधिक हैं और नियमित पाठ्यक्रमों में अध्ययन करते हैं। माता-पिता/अभिभावक की आय इस योजना के तहत सभी श्रेणियों के लिए प्रति वर्ष 8 लाख रुपये।
- विकलांग छात्र 40 प्रतिशत या उससे ज्यादा विकलांगता का प्रमाण पत्र।

**विशेष: उपरोक्त छात्रवृत्ति पात्र सभी विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन के साथ अनिवार्य डाक्यूमेंट लगाकर महाविद्यालय कार्यालय में 30 दिसंबर 2023 के पूर्व जमा करें अन्यथा आवेदन निरस्त किया जायेगा।**



**प्राचार्य**

**PRINCIPAL**

**St. Aloysius College (Autonomous)**  
**JABALPUR- 482001 (M.P.)**  
**INDIA**